बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण), नियमावली, 2017 के नियम 15 में निहित प्रावधानों के तहत अधिसूचना सं० 1743 दिनांक-05.08.2025 के द्वारा कुल 31 जिलो में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है।

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-15(9) के अनुसार समिति में कोई रिक्त पद होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर भरे जाने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में कुल 06 जिलो के बाल कल्याण समिति में कतिपय कारणों से हुए रिक्त पदों पर मेधा सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची से भरे जाने वाले सामाजिक सदस्यों की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	नाम	पत्राचार का पता	पदनाम
1	अररिया	नूतन कुमारी	पिता- श्री उपेन्द्र नारायण करन सुमन, पता- वार्ड नं० 04, सुलतान पोखर, फारबिसगंज, जिला अररिया- 854318	सदस्य
2	बक्सर	उर्मिला सिंह	पिता- श्री सूरज नारायण सिंह, पता- मठिया रोड, सिविल लाईन बक्सर, जिला-बक्सर- 802101	सदस्य
		सुधा कुमारी वर्मा	पिता- श्री धनन्जय कुमार, पता- पुराना चौक, मेन रोड, बक्सर, जिला-बक्सर-802101	सदस्य
3	कटिहार	अरूण कुमार चौबे	पिता- श्री रामायण चौबे, पता-बिनोदपुर, महिला कॉलेज रोड, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कटिहार, जिला-कटिहार-854105	सदस्य
4	पश्चिम चम्पारण	शोभा कुमारी	पिता- स्व० हलिवंत तिवारी, पता- आई०टी०आई० जय प्रकाश नगर, वार्ड नं० 12, बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण-845438	सदस्य
5	कैमूर	राजेश कुमार श्रीवास्तव	पिता- श्री डोमन लाल, पता- गाँव + पो० बघिनी, थाना-मोहनियाँ, जिला-कैमूर-821109	सदस्य
6	वैशाली	साधना सिंह	पिता-श्री रामनाथ सिंह, गांव-ब्यासचक, पो०-गरौल, थाना-गरौल, जिला वैशाली-844118	सदस्य

1. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) में वर्णित देख-रेख एवं संरक्षण के आवश्यकता वाले बालक के विषय में समिति को उक्त अधिनियम की धारा 27(2), धारा 29 एवं 30 में प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

2. इस अधिसूचना द्वारा चयनित सदस्यों की कालावधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1743 दिनांक-05.08.2025 के आलोक में चयनित बाल कल्याण समिति के सामाजिक सदस्यों की शेष अवधि तक के लिए मान्य होगी।

3. गठित बाल कल्याण समिति का क्षेत्राधिकार जिला स्तरीय होगा।

4. समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा 7 में अंकित प्रावधान के आलोक में उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। समिति की बैठक में कोरम हेतु न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हो सकेंगे।

5. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम नियम 15 के उपनियम 8 के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकेंगे एवं समिति द्वारा नियम 16 में निहित नियम और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

6. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 15 के उपनियम 6 के अनुसार समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे, अर्थात समिति में अध्यक्ष/सदस्य यदि एक कार्यकाल में एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक कार्य किये हो तो उसे एक कार्यकाल एवं द्वितीय कार्यकाल में भी एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक कार्य किये हों तो उसे द्वितीय कार्यकाल माना जाएगा।

7. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 54(7) के अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया हो अथवा दोषी पाया गया हो तो उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जायेगा।

8. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 88(5) में परिगणित कारणों के आधार पर चयनित सदस्यों को किसी भी समय पदमुक्त किया जा सकेगा।

9. समिति के चयनित अध्यक्ष/सदस्यों के संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो नियमावली, 2017 के नियम 88 के उपनियम 11, 15, 17 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

10. समिति के अध्यक्ष/सदस्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी को देंगे एवं इसकी सूचना निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति कार्यालय को भी देंगे।

11. समिति अपनी शक्तियाँ एवं कर्तव्यों का निर्वहन किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित अधिनियम, 2021) एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के अनुसार कर सकेगी तथा अध्यक्ष/सदस्य के द्वारा विधि संगत शक्ति एवं कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की अनियमितता या वैधानिक असंगतता पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी तथा इसे बालहित के विरूद्ध समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/11/25

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2499 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2499 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना/ प्रधान सदस्य, किशोर न्याय परिषद/ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/ अधीक्षक, बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान एवं सभी नव चयनित अध्यक्ष तथा सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2499 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को असाधरण अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/चयन कि०न्याय परि०-01/2025-2499 पटना दिनांक-19.11.2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।